यह निरीक्षण प्रतिवेदन **कार्यालय खण्ड शिक्षा अधिकारी खटीमा, उधमसिंह नगर, उत्तराखंड,** द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना के आधार पर तैयार किया है। कार्यालयाध्यक्ष द्वारा उपलब्ध करायी गयी किसी त्रुटिपूर्ण अथवा अधूरी सूचना के लिए कार्यालय प्रधान महालेखाकार(लेखापरीक्षा)उत्तराखण्ड,देहरादून की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।

कार्यालय **खण्ड शिक्षा अधिकारी खटीमा, उधमसिंह नगर, उत्तराखंड,** के 04/20016 से 03/2018 तक के लेखा अभिलेखों पर निरीक्षण प्रतिवेदन जो श्री सुनील दत्त, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी एवं श्री जतिन राणा, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी (तदर्थ) द्वारा दिनांक 04.08.2018 से 08-08-2018 तक में सम्पादित किया गया।

भाग-I

1. परिचयात्मकः इकाई की प्रथम लेखापरीक्षा है। वर्तमान लेखापरीक्षा में माह 04/2016 से 03/2018 तक के लेखा अभिलेखों की जांच की गयी।

2. इकाई के क्रियाकलाप एवं भौगोलिक अधिकार क्षेत्र: सम्पूर्ण खटीमा ब्लॉक जिला उधमसिंह नगर है इकाई का क्रियाकलाप जिले की समस्त योजनाओ का संचालन ब्लॉक स्तर किया जाना है कार्यालय का मुख्य कार्य माध्यमिक विधालयों का अनुश्रवन है

(अ) विगत तीन वर्षों में बजट आबंटन एवं व्यय की स्थिति निम्नवत हैः

(₹ लाख मे)

वर्ष	योजना का नाम	आवंटन	व्यय	व्यय अधिक्य (+)	बचत (-)
2016-17	220210104001	28.74	25.26	-	3.48
2017-18	220210104001	33.21	29.60	-	3.61

(ब) केन्द्र पुरोनिधानित योजनाओं के अन्तर्गत प्राप्त निधि एवं व्यय विवरण निम्नवत हैः

(र लाख मे)

वर्ष	योजना का नाम	प्राप्त `		व्यय `			बचत	
		GoI	State	GoI	State	Total	GoI	State
2016-17		-nil-						
2017-18								
योग:								

(स) कार्यक्रम/योजना/परियोजना के क्रियान्वयन मे संलग्न समितियों एवं एन०जी०ओ का विवरण:

S.No	Year	Name of Society/ NGO involved	Government expenditure through Society/NGO
1	**2**	**3**	**4**
1	2015-16	---nil---	
2	2016-17		
3	2017-18		

(iii) इकाई को बजट आवंटन राज्य सरकार द्वारा किया जाता है। इकाई द्वारा प्राप्त धनराशि को केंद्र एवं राज्य से प्राप्तियों के रूप मे अलग अलग नहीं रखे जा रहे है। गैर स्थापना व्यय को सम्मिलित न करते हुए इकाई “बी” श्रेणी की है।

(विभाग का संगठनात्मक ढांचा **संलग्न**)

(iv) लेखापरीक्षा का कार्यक्षेत्र एवं लेखापरीक्षा विधिः लेखापरीक्षा का कार्यक्षेत्र सम्पूर्ण खटीमा ब्लॉक जिला उधमसिंह नगर है नमूना लेखापरीक्षा को आच्छादित किया गया। समस्त स्वाधीन आहरण एवं वितरण अधिकारियों के निरीक्षण प्रतिवेदन पृथक-पृथक जारी किये जा रहे है। यह निरीक्षण प्रतिवेदन कार्यालय खण्ड शिक्षा अधिकारी खटीमा, उधमसिंह नगर, उत्तराखंड की लेखापरीक्षा में पाये गये निष्कर्षों पर आधारित है। **माह मार्च 2018 एवं मार्च 2017** को विस्तृत जांच हेतु चयनित किया गया। कार्यालय का कार्य जिले की समस्त योजनाओ का संचालन ब्लॉक स्तर किया जाना है खण्ड शिक्षा अधिकारी खटीमा, उधमसिंह नगर, उत्तराखंड, कार्यालय का मुख्य कार्य माध्यमिक विधालयों का अनुश्रवन है ।

(v) लेखापरीक्षा भारत के संविधान के अनुच्छेद 149 के अधीन बनाये गये नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के (कर्तव्य, शक्तियां तथा सेवा की शर्ते) अधिनियम, 1971 (डी पी सी एक्ट, 1971) लेखा तथा लेखापरीक्षा विनियम, 2007 तथा लेखापरीक्षण मानकों के अनुसार सम्पादित की गयी।

भाग-2(ब)

प्रस्तर 1: विभागीय उदासीनता के कारण कर्मचारी के अंशदायी पेंशन योजना की धनराशि रु 25,596/- की गणना PRAN खाते में नहीं किया जाना।

उत्तराखंड में राज्य कर्मचारियों के लिए "अंशदायी पेंशन योजना" शासनादेश 21/xxvii/आ०पे०यो/2005 के अनुसार दिनांक 25।10।2005 से लागू की गयी। नयी अंशदायी पेंशन योजना के अंतर्गत मूल वेतन, और महंगाई भत्ते के 10 प्रतिशत के समतुल्य धनराशि का मासिक अंशदान किया जाएगा। इसी के समतुल्य सेवायोजक का अंशदान राज्य सरकार द्वारा किया जायेगा। अंशदायी एवं निवेश से होने वाली आय को Tier-1 खाते में जमा किया जायेगा। इसी क्रम में शासनादेश संख्या 643/XXVII(7)/अ०पे०यो/2010, दिनांक 11.08.2010 में स्पष्ट रूप से निर्देशित है कि कार्मिकों को CRA से PRAN संख्या आवंटित होने के बाद ही अंशदान की कटौती प्रारम्भ की जायेगी तथा बिन्दु संख्या 04 में स्पष्ट रूप से वर्णित है कि:

(4)- अधिसूचना संख्या 26/XXVII(7)/2008, दिनांक 30 जनवरी 2009 के फलस्वरूप व्यवस्था परिवर्तन::-

इस शासनादेश के द्वारा राज्य सरकार के ऐसे कर्मचारी, जो दिनांक 1 अक्टूबर 2005 या इसके पूर्व राज्य सरकार कि सेवा में कार्यरत थे, उन्हे कतिपय शर्तों के अधीन पुरानी पेंशन योजना से आच्छादित माना गया है, जबकि दिनांक 1 अक्टूबर 2005 या इसके बाद इनकी नयी नियुक्ति के दृष्टिगत पूर्व में इनको नयी अंशदान पेंशन योजना का सदस्य मानते हुए अंशदान काटा गया था, अतः अब इनसे पूर्व में जमा कराई गयी नयी पेंशन योजना के अंशदान कि धनराशि इनको वापस कर इनको पूर्व आवंटित जी०पी०एफ खाते में जमा कि जायेगी, जिस हेतु संबन्धित आहरण-वितरण अधिकारी (डी०डी०ओ) अपने यहाँ बनाए गए लेजर/पासबुक से धनराशि पूर्ण रूप से सत्यापित करते हुए उसे संबन्धित कोषागार से सत्यापित करवाकर निदेशक, लेखा एवं हकदारी, उत्तराखण्ड को प्रेषित करेंगे। मैनुअल बिलों के द्वारा काटे गए अंशदान का सत्यापन प्रस्तर-5 के अनुसार किया जायेगा। निदेशक, लेखा एवं हकदारी, उत्तराखण्ड अंतिम भुगतान की पर्ची बनाकर उसे कोषागार को भुगतान हेतु ठीक उसी प्रकार प्रेषित करेंगे जैसे कि जी०पी०एफ की धनराशि आहरित करने की प्रक्रिया है उसी प्रकार कर्मचारी की अंशदान से संबन्धित धनराशि मय ब्याज के अधिकारी/कर्मचारी के सामान्य भविष्य निधि खाते मे जमा की जायेगी, जबकि नियोक्ता के अंशदान को राजकोष मे वापस जमा कर दिया जायेगा। निदेशक, लेखा एवं हकदारी, उत्तराखण्ड इस तरह के प्रकरण में फाइनल रिपोर्ट तभी लगायेंगे, जब सभी कोषागार इस तरह के प्रकरण अंतिम रूप से निदेशालय को भेज दें।

कार्यालय खण्ड शिक्षा अधिकारी, खटीमा, उधम सिंह नगर के नयी अंशदान पेंशन योजना से संबन्धित अभिलेखों की जांच में पाया गया कि कार्यालय में कार्यरत्त कर्मचारी निम्न तालिकानुसार नयी अंशदान पेंशन योजना के तहत अंशदान की कटौती करवा रहे हैं:

कर्मचारी का नाम	पदनाम	नियुक्ति तिथि	सीपीएस संख्या	एनपीएस हेतु कटौती प्रारम्भ माह	PRAN No.
श्री दर्शन सिंह नेगी	वरिष्ठ सहायक	17 अगस्त 2009	CMP/CPSN 26646	10/2009	110000978615

उक्त कर्मचारी के संदर्भ में कार्यालय स्तर पर बनाए जा रहे सीपीएस खाता की जांच में पाया गया कि माह 10/2009 से श्री दर्शन सिंह नेगी, वरिष्ठ सहायक नयी पेंशन योजना के तहत अपना अंशदान प्रतिमाह कटौती करवा रहे थे जबकि संबन्धित कर्मी को PRAN संख्या 10/07/2010 को आवंटित हुआ था। संबन्धित कर्मी कि सीपीएस पासबुक कि जांच में पाया गया कि उक्त शासनादेश के अनुपालन में जमा अंशदान धनराशि रु 25596/- कर्मी को आवंटित नई पेंशन योजना के खातों में जमा नहीं की गयी और न ही शासनादेश के अनुपालन मे कर्मचारी के जमा अंशदान को कोषागार को प्रेषित करने का साक्ष्य उपलब्ध कराया जा सका था। यह भी कि अंशदान के सापेक्ष Employer Share उनके खाते में जमा किया जा रहा था जबकि बाद में आवंटित PRAN के Tier-I खाते का प्रारम्भिक अवशेष शून्य पाया गया था, अर्थात विगत अंशदान tier-I खाता में जमा नहीं किया गया था।

इस संबंध में इंगित किए जाने पर इकाई द्वारा तथ्यों की पुष्टि करते हुए उत्तर में बताया कि जानकारी के अभाव में उक्त कर्मचारी के वेतन से कटौती की गयी थी, व जांचोपरांत उचित कार्यवाही कर दी जायेगी। उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि कर्मचारी को PRAN संख्या आवंटन न होने के बावजूद भी अंशदान की कटौती की गयी थी, व संबन्धित कर्मचारी के अंशदान तथा उसके सापेक्ष Employer Share की धनराशि कोषागार से समाधान नहीं कराया गया।

अतः प्रकरण उच्चाधिकारियों के संज्ञान में लाया जाता है।

<u>भाग-III</u>

विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों का विवरण:

क्रमांक	**प्रतिवेदन संख्या**	**भाग दो अ**	**भाग दो ब**	**नमूना लेखापरीक्षा टिप्पणी**
इकाई की प्रथम लेखापरीक्षा है				

विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों की अनुपालन आख्याः

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	प्रस्तर संख्या लेखापरीक्षा प्रेक्षण	अनुपालन आख्या	लेखापरीक्षा दल की टिप्पणी	अभ्युक्ति
इकाई की प्रथम लेखापरीक्षा है				

भाग-IV

इकाई के सर्वोत्तम कार्य

--------------शून्य-----------

भाग-V

आभार

1. कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून लेखापरीक्षा अवधि में अवस्थापना संबंधी सहयोग सहित मांगे गये अभिलेख एवं सूचनांए उपलब्ध कराने हेतु खण्ड शिक्षा अधिकारी खटीमा, उधमसिंह नगर, उत्तराखंड, देहरादून तथा उनके अधिकारियों एवं कर्मचारियों का आभार व्यक्त करता है, तथापि

लेखापरीक्षा में निम्नलिखित अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गयेः

-शून्य-

2. **सतत् अनियमितताएः**

-शून्य-

3. **लेखापरीक्षा अवधि में निम्नलिखित अधिकारियों द्वारा कार्यालयध्यक्ष का कार्यभार वहन किया गया**

क्रम सं0	**नाम**	**पदनाम**	**अवधि**
1。	श्रीमती सोनी मेहरा	खण्ड शिक्षा अधिकारी	22/08/2016 से वर्तमान तक

लघु एवं प्रक्रियात्मक अनियमितताएं जिनका समाधान लेखापरीक्षा स्थल पर नहीं हो सका उन्हें नमूना लेखापरीक्षा टिप्पणी में सम्मिलित कर एक प्रति कार्यालय खण्ड शिक्षा अधिकारी खटीमा, उधमसिंह नगर, उत्तराखंड, को इस आशय से प्रेषित कर दी जायेगी कि अनुपालन आख्या पत्र प्राप्ति के एक माह के अन्दर सीधे उप महालेखाकार सामाजिक क्षेत्र कार्यालय प्रधान महालेखाकर (लेखापरीक्षा) उत्तराखंड, “महालेखाकर भवन” कौलागढ़, देहरादून-248195 को प्रेषित कर दी जांय।

वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी/सा.क्षे.